न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 260/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/388**
दायर दिनांक :– 24.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 12.02.2025**

1. भागीरथराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. कृष्णाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. बुधाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मगनाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. जसी पत्नी लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र आसूराम जाति कुम्हार निवासी श्रीकृष्णनगर चाडी तह. आउ जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 654 रकबा 37–17 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण की कदिमी पीढी दर पीढी पैतृक चली आ रही है जो प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व 5 के पति लाधूराम पुत्र हरिंगाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के खातेदार लाधूराम की क्रयसुदा भूमि नहीं रही। लाधूराम अशिक्षित व्यक्ति थे, और ग्राम पंचायत कानासर के सरपंच थे। तत्कालीन पटवारी हल्का पहाड़सिंह लाधूराम के अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाकर पंचायत क्षेत्र में आने वाले कार्य एवं गलत नामान्तरकरण करवाने चाहते थें। इसी को लेकर खातेदार लाधूराम से हल्का पटवारी की नाराजगी व मनमुटाव के चलते तत्कालीन हल्का पटवारी पहाड़सिंह ने अपने रिशतेदार एवं मिलने वाले लालसिंह पुत्र टीकूसिंह जाति राजपूत को कूटरचना से फर्जी खातेदार द्वारा बिना किसी विक्रय 3 रूपयें के स्टाम्प पर वादग्रस्त भूमि का विक्रय बताकर लालसिंह के नाम वादग्रस्त भूमि गलत एवं गैर कानूनी तरीके से नामान्तरकरण संख्या 111 ग्राम कानासर के जरिये लालसिंह के नाम दर्ज करवा दी। जबकि वादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्त आज दिन तक खातेदार लाधूराम व प्रार्थीगण का निरन्तर आबाध रूप से चला आ रहा है। लाधूराम का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण लाधूराम के विधिक उतरजीवी है। प्रार्थीगण कूटरचित फर्जी कपोल कल्पित विक्रय 3 रूपये स्टाम्प पर लालसिंह के पक्ष में बताये जाने

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वाले को शुरू से शून्य प्रभावी घोषित करवाकर उसके नामान्तरकरण संख्या 111 ग्राम कानासर को निरस्त करवाने और वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जन्म से हकूक प्राप्त हो चुके और लाधूराम के फौत होने पर विरासत हकूको के आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है। यदि अप्रार्थी प्रार्थीगण को जबरन बलपूर्वक वादग्रस्त काश्त भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस वकुलाय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. 2022(2) DNJ 1515
2. 1999(6) RBJ 414

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरणों, अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। इसलिए वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला दावा इस अमर की जारी की जाती है कि ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 654 रकबा 37–17 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)